अपील एल आर–76 99/2012 **लूणाराम बनाम गुलाब सिंह व अन्य**

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2012/00076 अपी0 अभि0 – भीयाराम चौधरी रेस्पो0 सं. 1– श्री जसराज जयपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.01.2020	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अधिक्ता श्री भीयाराम चौधरी उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की और से श्री जसराज जयपाल अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज बहस प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10(ए) व्यवहार प्रकिया संहिता दिनांकित 10.05.2019 हेतु नियत है। बहस प्रार्थना पत्र सुना गया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व रखी जाती है। संभागीय आयुक्त अजमेर	
12-3-2020	पत्रावली निर्णयार्थ पेश हुई। प्रत्यर्थी संख्या 1 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10(ए) व्यवहार प्रकिया संहिता दिनांकित 10.05.2019 पर दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही कमोबेस दोहराते हुए उनके द्वारा निवेदन किया गया कि उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 10.05.2019 को प्रस्तुत किया जाकर यह सूचित किया गया था कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 गुलाब सिंह की मृत्यु दिनांक 01.09.2018 को हो गई है जिसके विधिक वारिसान इस प्रकार है यथा :– (1) श्रीमती नन्द कंवर बेवा स्व. श्री गुलाब सिंह (2) श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुलाब सिंह (3) श्री समदर सिंह पुत्र स्व. श्री गुलाब सिंह(नाबालिग) जरिये माता (4) विनोद कंवर पुत्री स्व. श्री गुलाब सिंह (5) पूजा कंवर पुत्री स्व. श्री गुलाब सिंह (6) मोनिका कंवर पुत्री स्व. श्री गुलाब सिंह (नाबालिग) जरिये माता नन्द कंवर समस्त जाति राजपूत निवासी – सोमणा, तहसील जायल, जिला नागौर । प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता का कथन है कि उनके द्वारा सूचना दिये जाने के बावजूद भी निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतएव ऐसी स्थिति में अब अपील अबेट हो जाने से अपील निरस्त/खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील अबेट हो जाने से अपील अपीलार्थी निरस्त/खारिज की जावें। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के विधिक वारिसान के कायम मुकाम बाबत् कार्यवाही किये जाने हेतु उन्हें अवसर दिया जावे जो कि न्यायहित में आवश्यक है। बहस उभयपक्षकारान पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 श्री गुलाब सिंह की मृत्यु दिनांक 01.09.2018 बाबत् प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10(ए) व्यवहार प्रकिया संहिता दिनांकित 10.05.2019 से सूचना दिये जाने के बावजूद भी निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतएव ऐसी स्थिति में विधिन्तर्गत अपीलार्थी की अपील अबेट हो जाने से अपील निरस्त/खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील अबेट हो जाने से अपील अपीलार्थी निरस्त/खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned with CamScanner